राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 227

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 24 जनवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

वह दिन दूर नहीं, जब सीधे मैदान पर लैंडिंग करनी होगी

>> 14

हर एसिड सर्वाइवर अपने पीछे की जिंदगी को भूल आज सुखन भरी दुनिया में जीने की जुगत में जुटी हैं। यह काम कितना कठिन है, इसे केवल वही महसूस कर सकती हैं। इनके इस हौसले को हम सलाम करते हैं! पेज-11

फांसी के मामले में अंतहीन मुकदमेबाजी नहीं चलेगी : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा के मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि फांसी की सजा में फाइनेलिटी (सजा का अंतिम होना) बेहद जरूरी है। दोषी को यह नहीं समझना चाहिए कि वह इस पर कभी भी सवाल उठा सकता है। मृत्युदंड में अंतहीन मुकदमेबाजी की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने ये टिप्पणी फांसी की सजा पाए अमरोहा कांड के दोषी सलीम और उसकी प्रेमिका शबनम की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने दोषियों की याचिका पर बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

गुरुवार को भले ही कोर्ट ने टिप्पणी अमरोहा कांड के दोषियों के मामले की सुनवाई के दौरान की हो, लेकिन दिल्ली दुष्कर्म कांड के दोषियों के मृत्युदंड टालने के लिए अपनाए जा रहे रवैये को देखते हुए टिप्पणी महत्वपूर्ण हो जाती है। दिल्ली दुष्कर्म कांड के मामले में कुल चार दोषी हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है और निचली अदालत उन्हें फांसी देने के लिए एक फरवरी की तिथि भी तय कर चुकी है लेकिन दोषी मामले में देरी करने के लिए एक-एक कर अर्जी दाखिल कर रहे हैं। कुख्यात रंगा-बिल्ला, उजागर-करतार सिंह, मकबूल भट्ट समेत कई मामलों में फांसी को टालने के लिए कोई न कोई तरीका अपनाया जाता रहा है।

उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बावन खेड़ी गांव निवासी शबनम ने 2008 में प्रेमी सलीम के साथ मिल कर अपने माता पिता सहित परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी थी। मृतकों में दस माह का बच्चा भी शामिल था। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से शबनम व सलीम को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। दोनों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर फांसी माफ करने की गुहार लगाई है जिस पर कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। दोषियों के वकील ने गरीबी और जेल में उनके अच्छे आचरण का हवाला देते हुए फांसी की सजा माफ करने की अपील की। वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि कोर्ट को शबनम के जेल में व्यवहार को देखते हुए उसमें सुधार होने की गुंजाइश के मद्देनजर मौत की सजा माफ करनी चाहिए। यह भी कहा कि उसका एक बच्चा है।

इन दलीलों पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद दोषी का जेल का व्यवहार पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि वह जेल के स्कूल में पढ़ाती है। सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होती है। कोर्ट ने कहा कि क्या इससे दस महीने के बच्चे की हत्या का जुर्म खत्म हो गया।

- अमरोहा कांड के दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित
- शीर्ष अदालत ने कहा-मृत्युदंड में सजा का अंतिम होना बेहद जरूरी

प्रतीकात्मक फोटो

कोर्ट कानून के मुताबिक चलता है और कानून अपराधी के लिए होता है। न्यायाधीश के पास किसी भी अपराधी को माफ करने का अधिकार नहीं होता है। न्यायाधीश तो पीड़ित और समाज को न्याय देने के लिए है।

सरकार ने कहा, कोर्ट फांसी के बारे में जल्द तय करे टाइम लाइन

सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गृह मंत्रालय की बुधवार को दाखिल अर्जी का जिक्र करते हुए कहा, कोर्ट फांसी के मामले में टाइम लाइन तय करे। कोर्ट समाज व पीड़ित को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी करे। कोर्ट ने कहा, ये दलीलें वे उस अर्जी पर सुनवाई में रखें। अभी मौजूदा मामले पर बहस करें।

हत्यारे अनाथ होने के आधार पर दया की कर रहे गुहार

उत्तर प्रदेश सरकार ने दोषियों की याचिका का विरोध किया। तुषार मेहता ने कहा, यह तो उसी तरह की बात है कि मां-बाप को मारने वाला अनाथ होने की दुहाई देकर दया की भीख मांगे। कोर्ट ने हर पहलू पर विचार के बाद मौत की सजा दी थी। उसे रद करने का कारण नहीं है।

निर्भया के दोषियों का डेथ वारंट जारी करने वाले जज का तबादला पेज>>5

जागरण विशेष

एक और सुपर मॉम! मुक्केबाज हेड कांस्टेबल रीना

चंडीगढ़ : बॉक्सिंग में जोरदार प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने रीना को हाल ही में प्रमोशन देकर हेड कांस्टेबल बनाया है। दो बच्चों की मां रीना 25 पदक जीत चुकी हैं। (पेज-6)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

राज ठाकरे ने बदला झंडा, बेटे को उतारा राजनीति में

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने पार्टी का झंडा (नीले, हरे एवं भगवा रंग की पट्टियों पर रेल का इंजन) बदलकर हिंदुत्व का रंग (भगवा रंग पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर) गाढ़ा करने का संकेत दिया है। साथ ही पुत्र अमित को भी राजनीति में उतार दिया है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

झारखंड में सीएए के समर्थन में निकले जुलूस पर हमला

लोहरदगा : झारखंड के लोहरदगा जिले में गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में निकाले गए जुलूस पर हमला किया गया। हिंसा पर उतारू भीड़ ने तोड़फोड़ और अगजनी भी की। प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

चीन ने वुहान और हुआंगगांग में पूरी तरह से बंद की आवाजाही

बीजिंग : चीन ने रहस्यमय कोरोना वायरस के प्रसार का केंद्र माने जा रहे एक करोड़ से ज्यादा आबादी वाले वुहान और 75 लाख की आबादी वाले हुआंगगांग शहरों में आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी है। सांस लेने में परेशानी का कारण बनने वाला यह वायरस चीन के कई शहरों को चपेट में लेने के बाद अमेरिका तक पहुंच गया है।

विश्व कप की तैयारी
पहला टी-20
भारत vs न्यूजीलैंड
दोपहर 12:20 बजे से
स्थान : ऑकलैंड
प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

370 हटाने का फैसला वापस लेना मुमकिन नहीं : केंद्र

सुप्रीम सुनवाई ▶ सरकार बोली, अस्थायी थी जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता

संविधान पीठ ने फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर एक साथ की सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को वापस लेना मुमकिन नहीं है और अब इस बदलाव को स्वीकार करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने इस तर्क का भी जोरदार तरीके से विरोध किया कि जम्मू-कश्मीर का भारत के साथ विलय नहीं हुआ था। सरकार ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अनुच्छेद 370 की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ के सामने केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के पांच अगस्त 2019 के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सात जजों की बड़ी पीठ को सौंपने की मांग का भी विरोध किया। इसके बाद पीठ ने इस पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा,वह इस पर विस्तृत आदेश पारित करेगी।

- कोर्ट ने मामले को बड़ी पीठ को सौंपने पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) नामक एनजीओ, जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और कुछ अन्य ने इस मामले को बड़ी पीठ को सौंपने की मांग की है। यह तर्क दिया गया है कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के दो फैसले (1959 का प्रेमनाथ कौल बनाम जम्मू-कश्मीर और 1970 का संपत प्रकाश बनाम जम्मू-कश्मीर) एक-दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए पांच जजों की मौजूदा पीठ इस पर सुनवाई नहीं कर सकती है।

जस्टिस रमना, संजय किशन कौल, आर सुभाष रेड्डी, बीआर गवई और सूर्यकांत की पांच सदस्यीय पीठ के समक्ष केंद्र की तरफ से उपस्थित अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा, अनुच्छेद 370 पर फैसला अब अपरिवर्तनीय है और इसे स्वीकार करना ही विकल्प है।

वेणुगोपाल ने कहा, इस तर्क का कोई अर्थ नहीं है कि जम्मू-कश्मीर का भारत संग विलय नहीं हुआ था या जम्मू-कश्मीर और भारत के बीच विलय का कोई दस्तावेज नहीं है। जम्मू-कश्मीर का विलय नहीं हुआ होता तो अनुच्छेद 370 की जरूरत ही नहीं होती। उन्होंने इस संबध में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के सचिव रहे वीपी मेनन द्वारा लिखित किताब 'द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स' का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, विलय के दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता वास्तव में अस्थायी थी। हम राज्यों के संघ हैं। इस दस्तावेज पर महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे।

जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस के वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि वह इस मामले को बड़ी पीठ को नहीं सौंपने के केंद्र सरकार के तर्क से सहमत हैं। लेकिन उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि इससे जम्मू-कश्मीर का संविधान और संधि पूरी तरह खत्म हो गई है।

मप्र में दो युवकों के खाते में आए 274 करोड़ रुपये आयकर विभाग सक्रिय

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश के दो युवकों के नाम पर मुंबई स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में खुले खाते में 274 करोड़ रुपये जमा होने और फिर इस राशि को निकाल लेने का मामला प्रकाश में आया है। इस लेनदेन को लेकर आयकर विभाग ने युवकों को साढ़े चार करोड़ रुपये का टैक्स जमा करने का नोटिस जारी किया है। दोनों युवकों सामान्य नौकरीपेशा हैं और इस लेनदेन की जानकारी मिलने से हैरान हैं। पहेली बने 274 करोड़ रुपये की छानबीन में आयकर विभाग जुट गया है। इस रकम के लेनदेन में कुछ हीरा कंपनियों के नाम सामने आए हैं।

सूत्रों का कहना है कि आयकर विभाग ने मामले की गोपनीय छानबीन शुरू कर दी है। एक्सिस बैंक की बांद्रा रिक्लेमेशन शाखा में रवि गुप्ता (भिंड निवासी) के नाम से खोले गए खाते में 132 करोड़ व कपिल शुक्ला (रीवा निवासी) के खाते में 142 करोड़ रुपये जमा हुए और चार-पांच माह में निकाल भी लिए गए। रकम का लेनदेन अगस्त 2011 से जनवरी 2012 के बीच हुआ। यह राशि कहां से आई और कहां गई, इसका राजफाश होना बाकी है। दोनों खातों के लेनदेन के ब्योरे से पता चला है कि यह रकम 30 लाख से लेकर दो करोड़ रुपये तक करीब ढाई दर्जन कंपनियों से आई और 10-15 करोड़ रुपये की रकम इकट्ठा होते ही आधा दर्जन कंपनियों में एकमुश्त डाली गई। इनमें से ज्यादातर उस वक्त डायमंड कंपनियों के बतौर पंजीबद्ध थीं, जो बाद में बंद हो गईं।

दोनों युवक भी संदेह के घेर में पेज>>7

'कश्मीर पर बयानबाजी से इमरान की कुंठा जाहिर'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दो दिन पहले दावोस में वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम (डब्लूईएफ) में हिस्सा लेते हुए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने विभिन्न नेताओं से मुलाकात में जिस तरह से कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश की, उसे भारत ने सिरे से खारिज किया है। कहा कि इमरान की बयानबाजी से कश्मीर पर उनकी कुंठा जाहिर होती है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ लंबे-लंबे झूठ गढ़े, पर वैश्विक मंच पर वह कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने में नाकाम रहा। इसके अलावा, भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर मुद्दे पर 'मदद' करने के सुझाव को नकारते हुए साफ किया कि कश्मीर भारत-पाक का द्विपक्षीय मामला है और इसमें तीसरे पक्ष की गुंजाइश नहीं है।

कश्मीर और भारत के कुछ कानूनी उपायों के जरिए दक्षिण एशिया की भयावह तस्वीर पेश कर रहे इमरान खान को गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टूक सलाह दी है कि वह पहले अपने देश के अंदरूनी हालात पर ज्यादा ध्यान दें। साथ ही भारत ने यह भी कहा कि पाक से रिश्ते तभी सामान्य होंगे जब पड़ोसी देश आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाये और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को इसके बारे में संतुष्ट कर दे।

दावोस में इमरान ने भारत के साथ रिश्तों को सामान्य होने की बात भी कही थी। उन्होंने अपने देश को एक बेहतरीन कारोबारी स्थल के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी। यह कहा था कि अगर भारत के साथ रिश्ते सुधर जाते हैं तो पाक की आर्थिक संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। उनके इस बयान को कई लोगों ने पाक के रुख में भारत को लेकर आ रही नरमी के तौर पर देखा है, लेकिन भारत सिर्फ पीएम खान के एक भाषण से अपने विचार नहीं बनाएगा।

रविश कुमार फाइल

भारत की दो टूक, अपने अंदरूनी हालात पर ज्यादा ध्यान दे पाकिस्तान

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा,'पाक पीएम के बयान के लहजे से हम वाकिफ हो चुके हैं और उनकी बात से साफ है कि वह हताशा में बयान में दे रहे हैं। वह निराशा की तरफ जा रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि वैश्विक समुदाय उनके दोहरेपन को बखूबी समझ चुका है। अगर वह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गंभीर हैं तो क्यों नहीं आतंकी समूहों व आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उनको कश्मीर व भारत की अंदरूनी स्थिति को लेकर डरावने बयान देने बंद करना चाहिए और अपने देश के भीतर के हालात पर ध्यान देना चाहिए।'

ट्रंप को भी जवाब, भारत को कश्मीर पर तीसरे की मध्यस्थता की जरूरत नहीं पेज>>3

असम में 644 उग्रवादियों ने किया समर्पण

गुवाहाटी, प्रेट्र : असम में आठ प्रतिबंधित संगठनों के 644 उग्रवादियों ने 177 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने बताया कि उग्रवादी संगठन उल्फा (आई), एनडीएफबी, आरएनएलएफ, केएलओ, भाकपा (माओवादी), एनएसएलए, एडीएफ और एनएलएफबी के सदस्यों ने एक कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया।

पुलिस महानिदेशक ज्योति महंता ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा, 'राज्य के लिए और असम पुलिस के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है। आठ उग्रवादी समूहों के कुल 644 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है।' इस मौके पर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि वह उन लोगों से अपील करते हैं जो अभी भी मुख्यधारा के बाहर हैं, वह आगे आएं और भारत को एक सशक्त देश बनाएं। बिना शांति के प्रगति संभव नहीं है। सभी देश विभिन्न क्षेत्रों में महारथ हासिल कर रहे हैं। इससे शांति स्थापित होती है और हमें भी यही करना है।

- उल्फा (आइ) समेत आठ प्रतिबंधित संगठनों ने 177 हथियार डाले
- सीएम सोनोवाल की उन लोगों से आगे आने की अपील जो मुख्यधारा से हैं बाहर

गुवाहाटी जिले में गुरुवार को 600 से अधिक उग्रवादियों द्वारा समर्पित किए गए हथियार और गोला-बारूद का निरीक्षण करते सीएम सर्बानंद सोनोवाल (बीच में)। एपी

उन्होंने कहा कि लोग इस बात से खुश हैं कि आप असम के विकास के लिए मुख्यधारा में लौट आए हैं। आपने उन सभी को प्रेरित किया जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करेगी। उल्लेखनीय है कि सरेंडर करने वाले सर्वाधिक उग्रवादी नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ बेंगाली (एनएलएफबी) के हैं। इसके बाद आदिवासी ड्रैगन फाइटर के 178 और नेशनल संथल लिब्रेशन आर्मी के 87 हैं। अन्य सरेंडर करने वालों में 50 उग्रवादी उल्फा (आइ) के भी हैं।

गाजियाबाद में सड़क पर विमान की आपात लैंडिंग

गाजियाबाद में गुरुवार को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के टू सीटर विमान की आपात लैंडिंग करानी पड़ी। बाद में विमान को गाड़ी पर लादकर ले जाया गया। यह विमान एनसीसी और वालंटियर के इस्तेमाल में आता है। (खबर पेज-5 पर) अनिल बराल

नया कश्मीर

सेना करियर काउंसलिंग कैंप लगाकर बदल रही है युवाओं की सोच, खेल, पढ़ाई और कौशल विकास के क्षेत्र में संभावनाओं की दी जा रही है जानकारी

आतंकवाद से जंग के साथ ही युवाओं का भविष्य संवार रही सेना

नवीन नवाज, श्रीनगर

कश्मीर में लगातार सामान्य हो रहे हालात के बीच सेना आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने के साथ नए कश्मीर की नींव भी रख रही है। स्थानीय बच्चों और युवाओं के समग्र विकास के साथ मुख्यधारा में शामिल कर उनमें राष्ट्रवाद की अलख जगाने के लिए सेना ने एक विशेष कार्ययोजना बनाई है। इस कार्ययोजना का खाका स्थानीय लोगों की मदद से ही तैयार किया गया है। शिक्षा, रंगमंच, कौशल विकास, प्लेसमेंट, नशा उन्मूलन और खेल समेत कई क्षेत्रों में युवाओं को आगे ले जाने के लिए कश्मीर के विभिन्न जिलों में करियर काउंसलिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आतंकियों के फरमान को ठेंगा दिखा अपने बच्चों को सेना के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बदलाव का आलम यह है कि स्थानीय लोग भी अपनी तरफ से कैंप लगाने के लिए सहयोग का प्रस्ताव लेकर पहुंच रहे हैं।

कश्मीर में बांदीपोरा में सैन्य अधिकारी युवाओं की काउंसलिंग करते हुए। सौजन्य : पीआरओ

अनुच्छेद 370 हटने के बाद से घाटी में स्थानीय युवाओं की आतंकी संगठनों में भर्ती में कमी आई है। आतंकियों के समर्थन में रैलियां बंद हो चुकी हैं। मारे जाने वाले आतंकियों के जनाजों में नजर आने वाली और पत्थरबाजी करने वाली भीड़ भी गायब हो चुकी है।

ऐसे खुल गया सिलाई सेंटर : समाज सेवी सलीम रेशी ने कहा, बीते दिनों कुलगाम गया था। वहां कुछ आतंकवाद पीड़ित महिलाओं ने अपनी बेबसी बताई, उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था। मैंने कहा, क्या आप सिलाई कढ़ाई का काम करोगी तो उन्होंने कहा हां। मैंने निकटवर्ती सैन्य शिविर के एक अधिकारी से बातचीत की, उन्होंने इन महिलाओं के घर के पास ही एक सिलाई सेंटर खुलवाने में मदद की।

मिल गया पुणे का टिकट : सेना के सहयोग से पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में पहुंचने वाले यावर ने कहा, मैं शुरू से ही फिल्म निर्माण में करियर बनाना चाहता था, पर पुणे पहुंचना मुश्किल था। एक दिन पता चला कि हैदरबेग, पट्टन स्थित सैन्य शिविर में पुणे से कुछ लोगों को बुलाया गया है। इन लोगों ने एक सप्ताह का कैंप लगाया था, मैंने वहां दाखिला लिया। इस बीच मैंने ग्रेजुएशन की और पुणे का टिकट भी ले लिया।

पत्थरबाजी करने वाले हाथों में बल्ला : एक महिला समाजसेवी ने कहा, डाउन-टाउन में आप सेना द्वारा किसी खेल प्रतियोगिता के आयोजन के बारे में सोच सकते हैं, शायद नहीं। लेकिन ऐसा हो चुका है। सेना ने यहां क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया और पत्थरबाजी करने वाले हाथ बैट लेकर मैदान में पहुंच गए। नशा उन्मूलन पर भी बारामुला, कुपवाड़ा में एक पखवाड़े का कार्यक्रम चलाया।

जम्मू-कश्मीर के 250 युवाओं ने विभिन्न कंपनियों में रोजगार पाया पेज>>6

बिहार में इस्तीफे के बाद भी शिक्षक कर रहे नौकरी, ले रहे वेतन

सुनील राज, पटना

फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर जिलों में नियोजित शिक्षक स्वेच्छा से इस्तीफा देने के बाद भी सरकारी स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं। निगरानी ब्यूरो को हर जिले से ऐसी शिकायतें मिली हैं। फर्जी प्रमाणपत्र पर शिक्षकों के नियोजन के मामले में 2015 से निगरानी ब्यूरो जांच कर रही है। इसी क्रम में चौंकाने वाली जानकारी सामने आयी है। सूत्रों की माने तो एमेनेस्टी योजना के तहत दो बार में करीब तीन हजार शिक्षकों ने नियोजन इकाइयों को त्याग पत्र सौंपे थे।

शिक्षक सरकारी स्कूलों में दे रहे सेवा : सूत्रों की मानें तो त्यागपत्र देने वाले तीन हजार शिक्षकों में से करीब 22 सौ शिक्षक जिला शिक्षा और कार्यक्रम पदाधिकारियों की मदद से फिर से नौकरी पाने में सफल रहे हैं। वहीं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने कहा, जिन शिक्षकों का त्यागपत्र स्वीकार किया जा चुका है। उनसे भविष्य में सेवा नहीं लेने का आदेश पहले ही दिया गया है। बावजूद अगर किसी जिले में ऐसे शिक्षक दोबारा नियोजित किए गए हैं तो कानूनी कार्रवाई के साथ ही वेतन मद में ली गई रकम की वसूली भी होगी। दोषी अफसरों पर भी कार्रवाई होगी।

- करीब तीन हजार नियोजित शिक्षकों ने दिया था त्यागपत्र
- डीईओ-डीपीओ की मिलीभगत से दोबारा कर रहे नौकरी

यह है मामला : 2006 में शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके तहत 352812 शिक्षकों को नौकरी दी गई। 2014-15 में यह बात सामने आई कि बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाणपत्र वालों को नौकरी दी गई है। 2015 में पटना हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। इसके बाद कोर्ट ने निगरानी ब्यूरो को जांच का निर्देश दिया।